वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र. एफ–1727488–2023–दस–2

भोपाल, दिनांक 18 जुलाई 2024

यतः, सिरपुर, झील मध्यप्रदेश के इंदौर, जिले में 22° 42'17" N 75° 49' 06'E पर स्थित है एवं 260 हैक्टेयर में फैली हुई है, जो कि नगरपालिक निगम, इंदौर के स्वामित्व में है । सिरपुर झील में पुष्प की 175 प्रजातियां तथा जीवों की 177 प्रजातियां हैं, जिनमें पक्षियों की 130 प्रजातियां, सरीसृप एवं अन्य जन्तुओं की 14 प्रजातियां तथा तितलियों की 34 प्रजातियां सम्मिलित हैं । सिरपुर झील प्रवासी पक्षियों का लिए महत्वपूर्ण प्राकृतिक वास है तथा प्रवासी पक्षियों की लगभग 100 प्रजातियां शीत ऋतु में यहां प्रवास करती हैं। सिरपुर को रामसर साईट एवं महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र (Important Bird Area) घोषित किया गया है, जो कि पारिस्थितिकीय दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है एवं जिसको संरक्षित किए जाने की आवश्यकता है और सिरपुर झील स्थानीय समुदायों के लिए आजीविका का साधन है।

और यतः जैवविविधता एवं पर्यावरणीय संरक्षण की दृष्टि से अनुसूची में दर्शित क्षेत्र को जैवविविधता विरासत स्थल घोषित किया जाना आवश्यक है।

अतएव, जैवविविधता अधिनियम, 2002 (2003 का 18) की धारा 37 की उप-धारा (1) एवं मध्यप्रदेश जैवविविधता नियम, 2004 के नियम 22 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड के परामर्श से, एतद्द्वारा, सिरपुर झील, जिला इंदौर को नीचे अनुसूची में दिए गए ब्यौरे अनुसार जैवविविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

अनुसूची

अनुक्रमांक	नाम	क्षेत्रफल	अवस्थिति	अधिकार क्षेत्र
1	2	3	4	5
1	सिरपुर झील	260 हेक्टेयर	22° 42' 17" N 75° 49' 06" E	नगरपालिका निगम, इन्दौर

मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड, नगरपालिका निगम, इन्दौर के सहयोग से निम्नलिखित उपक्रम करेगा :

1. जैवविविधता विरासत स्थल क्षेत्र की प्राकृतिक वनस्पितियों एवं प्राणियों के संरक्षण हेतु प्रबंधन योजना तैयार करना।
2. स्थानीय स्तर पर झील के संरक्षण हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार कार्यक्रम आयोजित करना।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 18 जुलाई 2024

क्र. एफ–1727488–2023–दस–2.– भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. क्र. एफ–1727488–2023–दस–2, दिनांक 18 जुलाई 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

S.No. F-1727488-2023-X-2

Bhopal, the 18th July 2024

Whereas, the Sirpur Lake is located in Indore, District of Madhya Pradesh at 22° 42' 17" N 75° 49' 06" E and is spread over 260 hectares area which is under the ownership of Municipal Corporation, Indore. There are 175 floral species and 177 faunal species present in Sirpur Lake, which includes 130 species of birds, 14 species of reptiles and other animals and 34 butterfly species. Sirpur Lake is an important habitat of migratory birds and almost 100 migratory bird species migrate in winters. Sirpur is also declared as a Ramsar site and Important Bird Arca, which is very important from the ecological point of view and which needs to be protected and the Sirpur Lake is a source of livelihood for the local communities.

And Whereas, from the point of view of Biodiversity and Environmental Protection, it is necessary to declare the arca shown in the Schedule as a Biodiversity Heritage Site.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) of section 37 of the Biological Diversity Act, 2002 (18 of 2003) and sub-rule (1) of rule 22 of the Madhya Pradesh Biological Diversity Rules, 2004, the State Government, in consultation with Madhya Pradesh State Biodiversity Board, hereby, notifies the Sirpur Lake, District Indore as Biodiversity Heritage Site as detailed in the Schedule below, namely:-

SCHEDULE

S.No.	Name	Area	Location	Jurisdiction
1	2	3	4	5
1	Sirpur Lake	260 Hectare	22° 42' 17" N 75° 49' 06" E	Municipal Corporation, Indore

The Madhya Pradesh State Biodiversity Board shall undertake the following in collaboration with the Municipal Corporation, Indore:

1. Prepare Management Plan for conservation of natural flora and fauna of the Biodiversity Heritage Site arca.
2. Organize extensive publicity programmes for the conservation of the lake at the local level.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ATUL KUMAR MISHRA, Secy.

भोपाल, दिनांक 22 जुलाई 2024

क्रमांक/एफ 16-01/2021/10-2 : राज्य शासन एतद्द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 10.12.2021 में प्रकाशित "संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से सी.एस.आर.सी.ई.आर. एवं अशासकीय निधियों के उपयोग से वृक्षारोपण की नीति में निम्न संशोधन करता है :-

1. उक्त नीति में अंकित शब्द "वृक्षारोपण" के स्थान पर "पौधारोपण" संशोधन प्रतिस्थापित किया जाता है।

2. उक्त नीति की कण्डिका 4.1 एवं 8.4 में निम्नानुसार संशोधन करता है :-

संशोधित कण्डिका क्रमांक-4.1

वन भूमि पर किये जाने वाले पौधारोपण हेतु न्यूनतम 10 हेक्टेयर क्षेत्रफल का चयन किया जायेगा। जिला स्तर पर ऐसे सभी प्रकरणों को जिसमें 10 हेक्टेयर से कम क्षेत्र उपलब्ध है को क्लब (संविलियन) कर 10 हेक्टेयर या उससे अधिक क्षेत्र में पौधारोपण किया जाएगा। मायनिंग क्षेत्र पर जहां रोपण की स्थिति न हो वहां आस-पास स्थित उपयुक्त क्षेत्रफल में पौधारोपण किया जाएगा। पुर्नस्थापना हेतु वन क्षेत्र की स्थिति एवं उपचार के संबंध में वनमंडलाधिकारी प्रस्तावक संस्था को अपने अभिमत से अवगत करायेंगे।

संशोधित कण्डिका क्रमांक-8.4

प्राप्त निधियों से वनमंडल स्तर पर वन विकास अभिकरण, वन समितियों के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके, सूक्ष्म प्रबंध योजना के अनुसार कार्य सम्पादित करा सकेगी। जिला स्तर पर 10 हेक्टेयर या उससे अधिक क्लब किये गये प्रकरणों में पौधारोपण की राशि वन विभाग के वन विकास अभिकरण के खाते में रखी जायेगी। 10 हेक्टेयर की सीमा प्राप्त होने पर उक्त राशि वन विभाग द्वारा जिला स्तर पर पौधारोपण हेतु उपयोग में लाई जायेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.